



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1942 (श०)

संख्या-81 राँची, मंगलवार,

2 फरवरी, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

2 फरवरी, 2021

संख्या-09/आरोप देवघर-05/2021-370(09)-- श्री राहुल चौबे, जिला अवर निबंधक, देवघर द्वारा देवीपुर अंचल अंतर्गत मौजा-हाड़ोकुरा, थाना नं०-42, खाता संख्या-05 एवं 06 के कुल रकबा-31 (एकतीस) एकड़ जमीन के विक्रय का निबंधन गलत ढंग से करने एवं एक अन्य मामले में निबंधन दस्तावेज संख्या-484, दिनांक-21.05.2020 का निबंधन नियमसंगत नहीं होने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कारण श्री चौबे को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. श्री राहुल चौबे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी ।

3. निलंबन अवधि में श्री राहुल चौबे का मुख्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में श्री राहुल चौबे को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
5. श्री राहुल चौबे निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस को उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव
